पत्र संख्या:– 2535

बिहार सरकार

(भविष्य निधि निदेशालय)

वित्त विभाग

प्रेषक,

संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन,
भविष्य निधि निदेशालय,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार राज्य।

पटना, दिनांक:– 11/9/ 2008

विषय: जिलों में पदस्थापित अराजपत्रित एवं राजपत्रित अंशदाताओं के भविष्य निधि लेखा में जमा एवं इससे की गयी निकासी से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी से प्राप्त सत्यापित विवरणी में अंकित राशियों का संपार्श्विक साक्ष्य (कोलैटरल एवीडेन्स) के आधार पर उनके लेखा में समायोजन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्त (भ.नि.नि.) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या जी.पी.एफ.–1–027–87/504 भ.नि.(3) दिनांक 31.3.87 में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित विवरणियों (टी.भी. न. एवं तिथि के साथ) के आधार पर लेखा संधारण करने का प्रावधान है। इसमें 10,000/– से अधिक राशि के संपार्श्विक साक्ष्य के आधार पर समायोजन / लेखा संधारण / अंतिम भुगतान की स्वीकृति हेतु समाहर्त्ता/उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता को शक्ति प्रदत्त है। विभिन्न वेतन पुनरीक्षणों एवं वेतनमान में वृद्धि को देखते हुए यह पाया गया है कि 10,000/– की राशि बहुत ही कम है।

अतः विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 10,000/– की राशि को 2,00,000/– दो लाख कर दी जाय, तदनुसार उक्त परिपत्र को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि 2,00,000/– (दो लाख) तक के सम्पार्श्विक साक्ष्य का अनुमोदन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी स्वयं करेंगे तथा इससे अधिक की राशि के सम्पार्श्विक साक्ष्य का अनुमोदन पूर्ववत समाहर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता द्वारा किया जायेगा। निदेशालय स्तर पर 2,00,000/– तक अनुमोदन सहायक निदेशक/सहायक आयुक्त करेंगे एवं उससे अधिक राशि पर निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक करेंगे।

विश्वासभाजन,

11/9

संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन
भविष्य निधि निदेशालय,
वित्त विभाग, बिहार, पटना